रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 9 अगस्त, 2005/18 श्रावण, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 9 अगस्त, 2005

संख्या वि0 स0–विधायन–गवर्नमैंट बिल/1–46/2005.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्यांक–20) जो

1846–राजपत्र/2005–9–8–2005–1,460 (2239) मूल्य : एक रुपया।

आज दिनांक 9 अगस्त, 2005 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व--साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

जे० आर० गाज़टा,
सचिव ।

2005 का विधेयक संख्यांक 20.

हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2005 है।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 28क का जोड़ना।

2. हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 28 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:–

"28क. छूट देने की शक्ति.–(1) प्राधिकरण सरकार के पूर्व अनुमोदन से, यदि समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा या तो पूर्णतया या केवल उस विस्तार तक, जो तथाकथित आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग , ऑपरेटरों या यानों के किसी भी वर्ग को, ऐसे यानों की पार्किंग के लिए या प्राधिकरण द्वारा बस अड्डे पर उपलब्ध करवाई गई प्रसुविधाओं और अन्य सेवाओं के ऐसे व्यक्तियों द्वारा उपयोग या उपभोग के लिए प्रभार्य फीस या किराए से छूट दे सकेगी ।

(2) उप–धारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक आदेश इसके जारी करने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा ।"।

2005 के अध्यादेश संख्यांक 5 का निरसन और व्यावृत्तियां।

3. (1) हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2005 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 18) की धारा 15 हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण का, सरकार के पूर्व अनुमोदन से बसों/टैक्सियों तथा अन्य यानों की पार्किंग के लिए या इस बाबत दी गई सुविधाओं के लिए/यात्रियों को बस अडडे पर दी गई प्रसुविधाओं के लिए/बस अड्डे पर प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाई गई प्रसुविधाओं और अन्य सेवाओं के व्यक्तियों द्वारा उपयोग या उपभोग के लिए फीस या किराया प्रभारित करने के लिए सशक्त करती है । इसके अतिरिक्त प्राधिकरण, सरकार द्वारा इसे समय–समय पर दिए गए अनुदेशों को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए, उन व्यक्तियों से जिन्हें प्राधिकरण द्वारा बस अड्डे पर किसी व्यापार या कारोबार करने के लिए कोई प्रसुविधा दी गई है, फीस या किराया प्रभारित कर सकेगा। तथापि, लोक हित में सुपात्र मामलों में ऐसी फीस/किराए के संदाए से छूट देने का कोई भी उपबन्ध प्राधिकरण में निहित नहीं है ।

प्राधिकरण को, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग/ऑपरेटर या यानों के किसी भी वर्ग को ऐसे यानों की पार्किंग के लिए या तो राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार जन साधारण को उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के प्रतिफलार्थ बस अड्डे पर दी जा रही प्रसुविधाओं के लिए या सामाजिक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए, जिसके परिणाम इन कारकों से सम्बद्ध व्यक्तियों को हानि होती है, छूट देने हेतु सशक्त बनाना आवश्यक समझा गया । इसलिए, उपरोक्त अधिनियम में सामर्थ्यकारी उपबन्ध अंतःस्थापित करने का विनिश्य किया गया ।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999(1999 का 18) में तुरन्त संशोधन करना अनिवार्य हो गया था इसलिए, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2005 को 30 जून, 2005 को प्रख्यापित किया गया था और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 2 जुलाई, 2005 को प्रकाशित किया गया था । अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है ।

यह विधेयक, उपर्युक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

जी० एस० बाली,
प्रभारी मन्त्री ।

शिमला:
तारीख....., 2005.

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग / ऑपरेटरों या यानों के किसी भी वर्ग को पार्किंग के लिए या हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण द्वारा बस अड्डे पर उपलब्ध करवाई गई प्रसुविधाओं और अन्य सेवाओं के लिए फीस / किराए के संदाय से छूट देने के लिए है । इससे हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण को कुछ राजस्व हानि होनी सम्भाव्य है जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण को, 'आदेश द्वारा' किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग / ऑपरेटरों या यानों के किसी भी वर्ग को ऐसे यानों की पार्किंग के लिए या लोक हित में इस बाबत दी जा रही प्रसुविधाओं के लिए केवल सुपात्र मामलों में ,राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कारणों को लिखित में अभिलिखित करते हुए फीस / किराए के संदाय से छूट देने को सशक्त बनाने के लिए है । शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2005

हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्ध और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 18) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक** ।

जी० एस० बाली,

प्रभारी मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,

प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमला:

तारीख....., 2005.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 20 of 2005.

THE HIMACHAL PRADESH BUS STANDS MANAGEMENT AND DEVELOPMENT AUTHORITY (SECOND AMEMDMENT) BILL, 2005

(AS INTRDUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority Act, 1999 (Act No. 18 of 1999).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority (Second Amendment) Act, 2005.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of April, 2000.

Addition of section 28A.

2. After section 28 of the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority Act, 1999, the following new section shall be added, namely:— 18 of 1999.

"28A. *Power to exempt.*—(1) The Authority with the previous approval of the Government, if satisfied that it is necessary or expedient so to do in the public interest, for the reasons to be recorded in writing, may, by order, exempt either wholly or to such extent only as may be specified in the said order any person or class of persons, operators or any class of vehicles from the payment of fees or rent chargeable for the

parking of such vehicles or for use and enjoyment by such persons, of facilities and other services provided by the Authority at Bus Stand.".

(2) Every order issued under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is issued, be laid before the State Legislature.

Repeal of Ordinance No. 5 of 2005 and savings.

3. (1) The Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority (Second Amendment) Ordinance, 2005 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 15 of the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority Act, 1999 (Act No. 18 of 1999), with the previous approval of the Government, empowers the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority to charge fee or rent for the parking of the buses/taxis and other vehicles or for the facilities offered in this regard/ amenities given to the passengers at bus stand/use and enjoyment by persons, of facilities and other services provided by the Authority at bus stand. In addition to this, the Authority may having due regard to the instructions given by the Government to it from time to time, charge fee or rent from persons who are given by the Authority any facility for carrying on any trade or business at bus stand. However, there is no provision vested in the Authority to grant exemption from the payment of such fees/rents in deserving cases in public interest.

It was considered necessary to empower the Authority to exempt any person or class of persons/operator or any class of vehicles from the payment of fee or rent for the parking of such vehicles or for the facilities offered in the bus stands in consideration of services being provided to the general public either as per directions of the State Government or to meet social obligations which results in loss of revenue to the concerned persons due to these factors. As such, it was decided to insert enabling provisions in the Act *ibid*.

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendments in the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority Act, 1999 (18 of 1999) was required to be carried out urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority (Second Amendment) Ordinance, 2005 on 30th day of June, 2005 and the same was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-ordinary) on 2nd day of July, 2005. The said Ordinance is now required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modification.

G. S. BALI,
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
The....., 2005.

FINANCIAL MEMORANDUM

Cause (2) of the Bill seeks to exempt any person or class of persons/operators or any class of vehicles from the payment of parking fee/rent/amenities and other services offered by the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority at Bus Stand. This is likely to result in some loss of revenue to the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority which can not be quantified.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause (2) of the Bill seeks to empower the Himachal Pradesh Bus Stands Management Authority to exempt 'by order' any person, or class of persons/operators or any class of vehicles from the payment of fees/rent for the parking of such vehicles or for the facilities being offered in this regard in the public interest for reasons to be recorded in writing in deserving cases only with the previous approval of State Government. The proposed delegation of powers are essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH BUS STANDS MANAGEMENT AND DEVELOPMENT AUTHORITY (SECOND AMENDMENT) BILL, 2005

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Bus Stands Management and Development Authority Act, 1999 (Act No. 18 of 1999).

G. S. BALI,
Minister-in-Charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (Law).

SHIMLA:
The....., 2005.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित